बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
आदेश

का0आ0सं0–AL-942/183/2022-SEC_8-390/– निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–28.08.2020 को जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर का कार्यालय निरीक्षण जिला अवर निबंधक, भोजपुर के प्रकोष्ठ (Chamber) में किया गया। निरीक्षण के समय सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) बिहार, पटना एवं प्रमण्डलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना भी उपस्थित थे। निरीक्षण के क्रम में निबंधन महानिरीक्षक द्वारा कार्यालय निरीक्षण एवं डिजिटाईजेशन एवं उसके साइनऑफ के कार्यों की समीक्षा के क्रम में श्री बिरजू कुमार, अभिलेखपाल से साईनऑफ के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया, जबकि जिला अवर निबंधक, भोजपुर द्वारा लिपिकों के लिए आवंटित किये गये कार्यों के लिए निर्गत कार्यालय आदेश सं0–16/2019 दि0–19.08.2019 में श्री कुमार को आवंटित कार्यों के क्रम सं0–(4) पर डिजीटाईजेशन से संबंधित कार्य हेतु जिल्द उपलब्ध कराना/पंजी संधारण एवं निष्पादन आदि कार्य आवंटित किया गया था। अतः श्री कुमार का यह कृत बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल पाया गया।

2. उक्त के संदर्भ में आरोपी कर्मी श्री बिरजू कुमार तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय भोजपुर सम्प्रति अभिलेखपाल, जिला अवर निबंधन कार्यालय कैमूर, भभूआ के विरूद्ध जिला अवर निबंधक, भोजपुर द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया एवं विभागीय पत्रांक–3765 दिनांक–14.07.2023 द्वारा उनसे जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर के पदस्थापन अवधि में की गयी लापरवाही एवं अनियमितता के संदर्भ में गठित आरोप पत्र के आलोक में स्पष्टीकरण की माँग की गयी।
3. उक्त के अनुपालन में आरोपी कर्मी श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जो प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोप की वृहत जाँच हेतु विभागीय आदेश सं0–2776 दिनांक–11.07.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमण्डल, गयाजी को संचालन पदाधिकारी तथा जिला अवर निबंधक, गयाजी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हुए उन्हें जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।
4. उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गयाजी द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें अंकित किया गया कि आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण तथा बचाव बयान में उनके द्वारा उल्लेखित तथ्यों की विवेचना करने से स्पष्ट होता है कि आरोपित कर्मी पर लगाये गये आरोप अपराध अथवा कदाचार की श्रेणी का तो नहीं है फिर भी कर्मी के कार्य के प्रति लापरवाही अथवा गैर–जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया जा सकता है। अंतः आरोप अंशतः प्रमाणित है।
5. उक्त आलोक में आरोपी कर्मी श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के आलोक में उनसे विभागीय पत्रांक–5502 दिनांक–19.09.2025 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी जिसके अनुपालन में आरोपी कर्मी द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा ना तो कोई ठोस साक्ष्य समर्पित किया गया है और ना तो अपने बचाव बयान में कोई नया तथ्य का उल्लेख किया गया है। उनके द्वारा मात्र संसूचित कर दिया गया है कि विभागीय ज्ञापांक–8वीं/आरोप (01) अरा0 नि0 11/2020–2776 दिनांक–11.07.2024 के अनुपालन में विभागीय संचालन के प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी सह जिला अवर निबंधक, गया को दिनांक–19.07.2024 एवं दिनांक–25.07.2025 को बचाव बयान उपलब्ध किया जा चुका है।

16.01.26

6. संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी के द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री बिरजू कुमार, तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण/द्वितीय बचाव बयान में उनके द्वारा ना तो कोई ठोस साक्ष्य समर्पित किया गया है और ना तो अपने बचाव बयान में कोई नया तथ्य का उल्लेख किया गया है। उनके द्वारा मात्र संसूचित कर दिया गया है कि विभागीय ज्ञापांक–8वीं/आरोप (01) अरा0 नि0 11/2020–2776 दिनांक–11.07.2024 के अनुपालन में उनको निर्देश के अनुपालन में विभागीय संचालन का प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी सह जिला अवर निबंधक, गया को दिनांक–19.07.2024 एवं दिनांक–25.07.2025 को बचाव बयान उपलब्ध किया जा चुका है।

7. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा समीक्षोपरांत आरोपी कर्मी श्री बिरजू कुमार तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय भोजपुर सम्पति अभिलेखापाल जिला अवर निबंधन कार्यालय कैमूर, भभूआ के द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए सरकारी कार्यो व दायित्वो के निर्वहन में पूर्णतः लापरवाही के प्रमाणित आरोपों के आलोक में आरोपी कर्मी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत धारा के अधीन संचयात्मक प्रभाव से दो (02) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

8. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार आरोपी कर्मी श्री बिरजू कुमार तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय भोजपुर सम्पति अभिलेखापाल जिला अवर निबंधन कार्यालय कैमूर, भभूआ को सरकारी कार्यो व दायित्वो के निर्वहन में पूर्णतः लापरवाही के प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत धारा के अधीन संचयात्मक प्रभाव से दो (02) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

9. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–AL-942/183/2022-SEC_8 - 390/– पटना, दिनांक– 16-01-26

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/जिला कोषागार पदाधिकारी, कैमूर, भभूआ/जिला अवर निबंधक, भोजपुर, आरा/जिला अवर निबंधक, कैमूर, भभूआ /प्रशाखा पदाधिकरी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री बिरजू कुमार तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय भोजपुर सम्पति अभिलेखापाल जिला अवर निबंधन कार्यालय कैमूर, भभूआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/26
सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

16.01.26